

नकल आदेश दि० 25-7-08

न्यायालय असिक्ले 0908/एपी/ परगनाधिकारी भोगनीपुर, कानपुर देहात।

माद सं०- 9/08 निर्णय द्वारा 143 जजिआधिनियम

ग्राम- अहरोलीशेखा परगना व तहसील भोगनीपुर, कानपुर देहात।

शिवबती शिवनन्दन शुक्ल महाविद्यालय बनाम सरकार

नकली निर्णय दिनांक 25-07-08

प्रस्तुत बाबू को आशीष शुक्ला पुत्र श्री सुधीर शुक्ला निवासी 35/40
आजाद नगर कानपुर प्रबन्धक शिवबती शिवनन्दन शुक्ला महाविद्यालय अहरोलीशेखा
के द्वारा यह कहते हुये योजित किया गया है कि आराजी स्थित ग्राम अहरोलीशेखा
गाटासं०-293मि०/०.2920हे०, 293मि०/०.585हे०, व 295मि० रकबा 0.286हे० क
द्वारा देखा है उक्त आराजी पर कृषिकार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि शिक्षा संस्थ
स्थापित है। अतः उक्त भूमि अकृषिक घोषित की जावे।

प्रश्नगत प्रकरणा की जाँच तहसीलदार से कराई गई जिस पर राजस्व निरीक्षक
जाँच आख्या दिनांक 14-7-08 जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 23-7-08 को सम्प्रेषित
प्राप्त हुई। उक्त आख्या में उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की सन्तुष्टि दी
है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया एवं बाबा के विद्वान
अधिवक्ता के तर्कों से। जिसे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर मौके पर कृषिकार्य नहीं
रहा है। अतः प्रश्नगत भूमि अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़कना
है। बाबा बाबा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा बानी स्वीकार किया जाता है। आराजी स्थित ग्राम अहरोलीशेखा पर
तहसील भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात गाटासं०- 293मि०/०.247हे०, 293मि०
०.585हे० व 295मि० रकबा 0.204 हे० अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। उक्त
भूमि की भूराजस्व समाप्त की जाती है। परबकसा अमलदरामद जारी हो। पत्रावली
आवश्यक कार्यवाही शाखाल दफ्तर हो।

दिनांक - 25-7-2008

ह. अपरि

25/7/08

8 घानश्याम 8,
असिक्ले 0908/एपी/ परगनाधिकारी
भोगनीपुर-कानपुर देहात



26/26/26/26

27-10-09

मो० डासिस

28-10-09

30-10-09

13-00

हस्ताक्षर नकल तयार कता हायाउरि

हस्ताक्षर नकल तयार कता हायाउरि

हस्ताक्षर नकल तयार कता हायाउरि